

अल्पकालीन निविदा सूचना
उ0प्र0 सरकार पुलिस विभाग भदोही

सामान्य लोक सभा निर्वाचन -2024 के छठवां चरण में दिनांक 25.05.2024 को जनपद भदोही में होने वाले मतदान को सम्पन्न कराये जाने के संबंध में मतदान डियुटी हेतु वाह्य जनपदों से प्राप्त होने वाले पुलिस बल/ अर्द्ध सैनिक बल/होमगार्ड के ठहरने के स्थानों पर उनके उपयोग हेतु वस्तुओं/उपकरणों की सम्पूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं पुलिस बल के अधिकारियों के ब्रीफिंग हेतु पण्डाल तथा बैठने की व्यवस्था के लिए उ0प्र0 सरकार से मान्यता प्राप्त फर्मों से दिनांक 14.05.2024 को मूहर बन्द निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा के नियम व शर्तों को जनपद भदोही की आफिसियल वेबसाइट www.uppolice.gov.in पर देखा जा सकता है।

1- केन्द्र/ राज्य पुलिस बल / होमगार्ड / चौकीदार के व्यवस्थापन स्थल पर व्यवस्था हेतु जनपद भदोही।			
क्र.सं.	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का नाम	किराये पर ली जाने वाली सामग्री की कुल आवश्यकता की संख्या	अवधि (घण्टा में), दिनांक: 22.05.2024 से 25.05.2024 तक (120 घण्टा)
1.	अस्थायी बाथरूम शहरी (शौचालय / बाथरूम)	नगरीय क्षेत्र-325	सम्पूर्ण व्यवस्थापन अवधि के लिये निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण
2.	अस्थायी बाथरूम ग्रामीण (शौचालय / बाथरूम)	ग्रामीण क्षेत्र-407	सम्पूर्ण व्यवस्थापन अवधि के लिये निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण
3.	जनरेटर (5/7.5 KVA)	54	120 घण्टा
4.	एल0ई0डी0 बल्ब(200 वाट/20 वाट)	540	120 घण्टा
3	होल्डर	270	120 घण्टा
4	बाल्टी (बाथरूम एवं शौचालय)	1100	120 घण्टा
5	मग्गा	550	120 घण्टा
6	दरी	1080	120 घण्टा
8	कनात	108	120 घण्टा
9	कूलर	54	120 घण्टा
10	पंखा	162	120 घण्टा
11	पेडेस्ट्रल फैन	270	120 घण्टा
12	ट्यूबलाइट	108	120 घण्टा
13	हैलोजन	108	120 घण्टा
14	मजदूरी	54	120 घण्टा
2- लोक सभा चुनाव के मतदान की ब्रीफिंग हेतु (कुल लगभग 4000 व्यक्ति) के लिए सामग्री-			
क्र.सं.	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का नाम	किराये पर ली जाने वाली कुल सामग्री की संख्या	अवधि व्यवस्थापन दिनांक:23.05.2024 को
1	पण्डाल225x225 वर्ग फीट	01 अदद	24 घण्टा
2	टीन एवं कनात	675 अदद	24 घण्टा
3	कुर्सी(सादी)	4000	24 घण्टा
4	हार्न	25 अदद	24 घण्टा
5	माईक लाइन	200 मीटर	24 घण्टा
6	विद्युत लाइन	200 मीटर	24 घण्टा
7	दरी	2812 अदद	24 घण्टा
8	ट्यूबलाइट	250 अदद	24 घण्टा
9	पैडेस्ट्रल फैन	225 अदद	24 घण्टा
10	बाल्टी	225 अदद	24 घण्टा
11	जग	225 अदद	24 घण्टा
12	जनरेटर 40/60 केवीए	1 अदद	24 घण्टा
2- अन्तर्राज्यीय / अन्तर्जनपदीय सीमा सील करने हेतु बैरियर व पिकेट ड्यूटी आदि की व्यवस्था हेतु सामग्री			
क्र.सं.	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का नाम	कुल आवश्यकता की संख्या	अवधि (घंटा में) दिनांक 24/05/24 से


			25/05/24 तक
1.	बैरियर	18 अदद	48 घंटा
2	पण्डाल / टेन्ट 15x15	18 अदद (4050 वर्ग फीट)	48 घंटा
3.	कुर्सी प्रति बैरियर पर 10	180	48 घंटा
5-मतगणना ड्यूटी से पूर्व दिनांक 03/06/2024 को सीएपीएफ/ पीएसी/पुलिस बल के जवानों / अधिकारीगण की ब्रीफिंग के लिए आवश्यकता अनुसार किराये पर ली जाने वाली सामग्री -			
क्र.सं.	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का नाम	कुल आवश्यकता की संख्या	अवधि (घंटा में) दि 03/06/24 हेतु
1	पण्डाल 110x110 वर्ग फीट	1 अदद	24 घंटा
2	टीन एवं कनात	126 अदद	24 घंटा
3	कुर्सी (सादी)	1000 अदद	24 घंटा
4	हार्न	06 अदद	24 घंटा
5	माईक लाइन	17 मीटर	24 घंटा
6	विद्युत लाइन	17 मीटर	24 घंटा
7	दरी	703 अदद	24 घंटा
8	ट्यूबलाइट	62 अदद	24 घंटा
9	पैडेस्ट्रल फैन	56 अदद	24 घंटा
10	बाल्टी	56 अदद	24 घंटा
11	जग	56 अदद	24 घंटा
12	जनरेटर 40/60 केवीए	01 अदद	24 घंटा
13	गिलास	1000 अदद	24 घंटा

- 2- उपरोक्त समस्त आईटमों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार समयावधि एवं सामग्री कम व ज्यादा किये जाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में उपरोक्त तालिका में अंकित सामग्री की संख्या बाद में निर्धारित की जायेगी।
- 3- आमंत्रित निविदा की वस्तुएं एवं उपकरण दिये गये निर्देशों के अनुसार होगी, जिसका भुगतान 24 घंटे के आधार पर कुल 48 घंटे एवं 120 घंटे का ही किया जायेगा।
- 4- निविदा के समय रू0 50,000/- का अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा।
- 5- पुलिस अधीक्षक महोदय को निविदा स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्णय के विरुद्ध किसी फर्म या ठेकेदार को किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 6- निविदा फार्म के लिफाफे के उपर कार्य का पूरा नाम अंकित होना चाहिए।
- 7- निविदा फार्म/ आवेदन पत्र का मुल्य रू0-500/- है जिसे पुलिस कार्यालय में प्रधान लिपिक के यहा से निविदा की तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
- 8- निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित दिनांक 15-05-2024 को निविदा/ टेण्डर फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समय 12.00 बजे तक जमा किया जा सकता है, जो उसी दिन अपराह्न 14.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोला जायेगा।
- 9- निविदा कर्ता/ फर्म के ठेकेदार द्वारा संबंधित फर्म का आयकर /बिकी कर का प्रमाण-पत्र निविदा फार्म प्राप्त करते समय जमा करना होगा।
- 10- संबंधित फर्म जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी उसे इस आशय का अनुबंध पत्र भरना होगा कि आवश्यकतानुसार चुनाव के अन्तिम समय तक अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होने पर उसकी आपूर्ति समय से की जायेगी।
- 11- उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्थानों पर की जायेगी एवं भण्डारण तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
- 12- सामग्री को लाने व ले जाने संबंधी कोई किराया भाड़ा अलग से प्रदान नहीं किया जायेगा। यह संबंधित फर्म की जिम्मेदारी होगी।
- 13- निविदा कर्ता से उल्लिखित सामग्री की निविदा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निविदा कर्ता के पास उपलब्ध सामान एवं उसके भण्डारण का निरीक्षण किये जाने का अधिकारी विभाग को होगा।

- 14- निरीक्षण किये जाने के निर्णय पर निविदा कर्ता फर्म को अपनी सामग्री का भण्डारण जनपद में कहीं प्रत्यक्ष रूप से कमेटी को दिखाना होगा।
- 15- उपरोक्त सामग्री/ उपकरण की आपूर्ति करते समय इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना होगा। सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी पाये जाने पर सामग्री वापस कर दी जायेगी एवं उसके स्थान पर पुनः अच्छी गुणवत्ता की सामग्री आपूर्ति की जानी होगी।
- 16- निविदाकर्ता फर्म की निविदा स्वीकृत होने के 03 दिवस में धनराशि रू० 2,00,000/- (रू० दो लाख मात्र) जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर शेष निविदा कर्ताओं में से द्वितीय न्यूनतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदा कर्ता की निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी।
- 17- आपूर्ति कर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त यदि सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है तो स्वीकृत फर्म की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा तत्समय ही निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 18- जीएसटी के सम्बन्ध में कार्यवाही वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नोटिफिकेशन संख्या 12/2017 सेन्ट्रल टेक्स (रिट) दिनांक 28.02.2017 में निहित प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।
- 19- अस्थाई बाथरूम (शैचालय/स्नानागार) के उपभोग के उपरान्त फर्म द्वारा किये पर ली गयी सामग्री वापस लेने के उपरान्त वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए समतलीकरण आदि की कार्यवाही करायी जायेगी, जिसका अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।

पत्र संख्या: च-02/2024

दिनांक : मई 08 2024


पुलिस अधीक्षक,
भदोही।

प्रतिलिपि-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि-पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी भदोही को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ०प्र०को इस अनुरोध के साथ कि अपने अपने जनपदों में संचालित फर्मों को विज्ञप्ति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि-जिला सूचना अधिकारी भदोही को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-अपर पुलिस अधीक्षक, भदोही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-पीआरओ पु०अ० को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ की जिला सूचना अधिकारी भदोही से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उक्त आशय का विज्ञापन 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

प्रतिलिपि-समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारीनिरीक्षक/थानाध्यक्ष भदोही को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-प्रभारी मीडिया सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-प्रतिसार निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-प्रधान लिपिक/आंकिक को आवश्यक कार्यवाही एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

प्रतिलिपि-कार्यालय प्रति।